जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर

प्रधान कार्यालय, ए.बी. रोड़, रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने, टंकी चौराहा शाजापुर

रबी विपणन वर्ष 2025–26 में गेहूं, चना, मसूर, सरसों उपार्जन कार्य हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध सहकारी संस्थाओं एवं जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थाओं के उपार्जन केन्द्रों पर लगने वाली क्रय सामग्री की निविदा की शर्तें निम्नानुसार है–

निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंध :–

1. निविदा फार्म राशि रूपये 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) में (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा में जमा पावती के माध्यम से) जमा कर, बैंक मुख्यालय शाजापुर में दिनांक 25.02.2025 तक बैकिंग कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते है।
2. सूचना प्रकाशन दिनांक से दिनांक 27.02.2025 को दोप. 12.00 बजे तक निविदा फार्म सील बंद लिफाफे में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या शाजापुर प्रधान कार्यालय–टंकी चौराहा, ए.बी.रोड, शाजापुर में जमा किया जा सकेगा। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 27.02.2025 को ही सायं 4:00 बजे जिला उपार्जन समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेंगी।
3. जिला उपार्जन समिति द्वारा इस निविदा के माध्यम से न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जावेगा। जिला स्तर पर कोई भी केन्द्रीयकृत उपार्जन सामग्री क्रय नहीं की जावेगी। उपार्जन समितियों द्वारा उपार्जन अवधि में उपार्जन सामग्री आवश्यकतानुसार सीधे क्रय की जावेगी एवं उपार्जन सामग्री का भुगतान उपार्जन समितियों द्वारा किया जावेगा।
4. जिला उपार्जन समिति द्वारा स्वीकृत न्यूनतम दर वाली कंपनी/फर्म/संस्थान के अतिरिक्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली एवं तकनीकी रूप से पात्रता रखने वाली अन्य फर्म से भी न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय करने के लिये जिला उपार्जन समिति स्वीकृति दे सकती है।
5. कंपनी/फर्म/संस्थान का टर्न ओवहर विगत तीन वर्षों का पृथक–पृथक कम से कम राशि रू. 1.00 करोड (एक करोड) (प्रत्येक वर्ष का 1.00 करोड होना आवश्यक) वार्षिक होना अनिवार्य है तथा चार्टड एकाण्टेंट से सत्यापित बैलेंस शीट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. इच्छुक कंपनी/फर्म/संस्थान को राशि रुपये 1.00 लाख का डी.डी. घरोहर राशि के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर के पक्ष में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे संतोषजनक कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस की जावेगी।
7. कंपनी/फर्म/संस्थान के पास जीवित रजिस्ट्रेशन (TM) सर्टिफिकेट तथा जी.एस.टी. नम्बर व पेन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
8. सामग्री प्रदायकर्ता फर्म/संस्थान को संस्था के पास उपार्जन उपरांत शेष रही सील बंद सामग्री वापस लेना अनिवार्य होगा।
9. टेंडर में आवश्यक सामग्रियों की प्रति नग दरें जीएसटी सहित दर्शाना आवश्यक होगा।
10. समितियों में उपार्जन कार्य में लगने वाली सामग्री सप्लाई का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. संबंधित कंपनी/फर्म/संस्थान द्वारा प्रदाय सामग्री मानक स्तर की ही होना अनिवार्य होगी। अमानक पाये जाने की स्थिति में संबंधित प्रदायकर्ता को उपार्जन समितियों द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. कंपनी/फर्म/संस्थान का कोई भी दस्तावेज निविदा जारी होने की दिनांक के बाद का मान्य नहीं होगा।

निरन्तर ... 2

13. जिस कंपनी/फर्म/संस्थान की न्यूनतम दरें जिला उपार्जन समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी, उसे उपार्जन समिति/केन्द्रों पर सामग्रियों को उनकी मांग अनुरूप एफओआर पर 24 घंटे के अंदर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा।
14. विगत वर्षों में मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में डिफाल्टर रही कंपनी/फर्म/संस्थान को निविदा से आयोग्य घोषित करने का अधिकार जिला उपार्जन समिति को होगा।
15. शासन के निर्देशानुसार आवश्यक सामग्रियों यथा टैग, धागा, कलर की गुणवत्ता एवं मापदंड परिवर्तशील होगी।
16. सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी/फर्म/संस्थान प्रदाय सामग्री के देयक सीधे उपार्जन समितियों में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करेगी, किन्तु उक्त भुगतान नोडल एजेंसी से राशि प्राप्त होने के पश्चात उपार्जन समितियों द्वारा किया जावेगा।
17. सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी को अपना जीएसटी नंबर एवं समिति का जीएसटी नंबर देयक पर लिखना अनिवार्य होगा।
18. निविदा तीन लिफाफे में होना आवश्यक है (पहले लिफाफे में डी.डी., दूसरे लिफाफे में टेक्निकल दस्तावेज, तीसरे लिफाफे में रेट लिस्ट, तीनो लिफाफे एक बडे लिफाफे के अन्दर बन्द होना चाहिये)।
19. निविदा में आवेदन किये जाने का अर्थ होगा कि आवेदक को समस्त शर्तें मान्य है।
20. प्राप्त निविदाओं में सफल निविदाकार फर्म से फर्म से प्राप्त दरों में आवश्यकता होने पर निगोशिएशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।
21. विवाद की स्थिति में जिला उपार्जन समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
22. निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार पूर्ण रूप से जिला उपार्जन समिति का होगा।
23. किसी विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन क्षेत्र जिला शाजापुर रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., शाजापुर

उप आयुक्त
सहकारिता जिला शाजापुर